उत्तर मध्य रेलवे

प्रधान कार्यालय
इलाहाबाद

पत्रांक: 797–ई/पालिसी/2018
दिनांक: .06..2018

RBE No-45/2018
NCRPS No. 5224/2018

समस्त विभागाध्यक्ष/उमरे/इला., वरि.उप महाप्रबन्धक, उप महाप्रबन्धक/सा. मु.प्रशा.अधि/नि
मंडल रेल प्रबन्धक/कार्मिक, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद, आगरा एवं झॉसी।
मुख्य कारखाना प्रबन्धक, उत्तर मध्य रेलवे, वैगन रिपेयर शाप, झॉसी।
मुख्य कारखाना प्रबन्धक, उत्तर मध्य रेलवे, रेल स्प्रिंग कारखाना, सिथौली (ग्वालियर)।
चेयरमैन/आरआरसी/उत्तर मध्य रेलवे/इलाहाबाद।
उप मुख्य सामाग्री प्रबन्धक/झॉसी, उप मु.अभि/सीपीओएच/इला., उप मु.अभि./सीएसपी/इला.
प्रिन्सिपल – सुपरवाईजरस ट्रेनिंग सेन्टर, झॉसी, सिविल ट्रेनिंग सेन्टर, कानपुर, इण्डिया रेलवे ट्रैक मषीन ट्रेनिंग सेन्टर, इला., एरिया ट्रेनिंग सेन्टर, झॉसी, बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर, लोको, झॉसी, बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर, सी एण्ड डब्लू/झॉसी, बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर, वैगन वर्कषाप,झॉसी, सी एण्ड डब्लू, ट्रेनिंग सेन्टर,कानपुर, परमानेन्ट वे ट्रेनिंग सेन्टर,झॉसी, ट्रान्सपोर्टेषन,ट्रेनिंग सेन्टर, सूबेदारगजं,इला., इलेक्ट्रिक, ट्रेनिंग सेन्टर/टीआरडी/झॉसी, इलेक्ट्रिक ट्रेनिंग सेन्टर,कानपुर, मु.प्रा.अधि/ आईआरपीएमयू/नई दिल्ली
उप मुख्य इंजी/ब्रिज/लाईन/इला./झॉसी एवं आगरा, एक्स ई एन/ब्रिज/लाईन/झॉसी।
व.स.वि.स/कैश एवं पे/उमरे/इलाहाबाद।

Subject: निष्पक्ष और पारदर्शी चयन के लिये दिशा निर्देश।

रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या E(NG)I-2018/CFP/1 दिनांक 26.03.2018 की प्रतिलिपि आपके सूचनार्थ, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक: यथोक्त।

02.7.18
(V.P.Singh)
For General Manager/P

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु– O/C

1. कार्यालय अधीक्षक,उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
2. मुख्य विधि सहायक, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
3. मुख्य स्टाफ एण्ड वेलफेयर इन्सपेक्टर, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद
4. सीपीआई– एससी–एसटी, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद।
5. महामंत्री, एन सी आर ई एस
6. महामंत्री, एन सी आर एम यू
7. महामंत्री, एन सी आर पी ओ ए

11/7/18

RBE-2018-727
1-5-18

आरबी/स्था. सं. 45/2018

भारत सरकार(GOVERNMENT OF INDIA)
रेल मंत्रालय(MINISTRY OF RAILWAYS)
रेलवे बोर्ड(RAILWAY BOARD)

NCR

सं. ई(एनजी)I-2018/सीएफपी/1 **नई दिल्ली, दिनांक 26.03.2018**

महाप्रबंधक(पी)
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां
(मानक सूची के अनुसार)

विषय: निष्पक्ष और पारदर्शी चयन के लिए दिशा-निर्देश

आईआरईएम, वॉल्यूम I, 2009 संस्करण के पैरा 174 के अनुसार, लेवल-1 से कनिष्ठ लिपिक के पद पर लेवल-2 में पदोन्नति के लिए 16-2/3% कोटा के तहत एक मंडल में चयन आयोजित किया गया था। रेलवे बोर्ड के सतर्कता निदेशालय द्वारा इस मामले की जांच की गई थी और कुछ अनियमितताएं पाई गईं थीं। ये खामियां/कमियां निम्नानुसार हैं:-

(i) अनुमानित रिक्तियों का सही-सही आकलन नहीं किया गया था।
(ii) सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा कोटा के अंतर्गत चयन, पदोन्नति कोटा के अंतर्गत चयन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद आयोजित किया जाना चाहिए था क्योंकि मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, पदोन्नति कोटे की अपूरित रिक्तियों को सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा कोटा में शामिल होता है। परन्तु, ऐसा नहीं किया गया।
(iii) अधिसूचना का व्यापक प्रसार सुनिश्चित करना चाहिए था ताकि वह सभी संभावित आवेदकों के पास पहुँच सके।
(iv) समिति में वरिष्ठ वेतनमान के अधिकारी होने चाहिए थे परन्तु तीन सदस्यों में से एक सदस्य कनिष्ठ वेतनमान अधिकारी थे। यदि, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारी कनिष्ठ वेतनमान के अधिकारी थे तो उन्हें समिति के चौथे सदस्य के रूप में शामिल करना चाहिए था।
(v) नामों को उनके औपचारिक आवेदनों के बिना ही अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद शामिल किया गया था।

प्र0 मुकाधि0
मुकाधि0 (प्रशा0)
मुकाधि0 (आई0 आर0)
उप मुकाधि0 (राज0)
उप मुकाधि0 (मुख्या0)
उप मुकाधि0 (आई0...)
अध्यक्ष/रे0म0प्र0
प्र0 का0 अधि0 (राज)
प्र0 का0 अधि0 (औ0सं0)
प्र0का0 अधि0 (मुख्या0)
सकाधि0 (आई0आर0)
सकाधि0 (भर्ती0)
मु0 कार्या0 अधी0/कार्या0 अधी0

Pl circulate

Policy

2. बोर्ड द्वारा मामले की समीक्षा की गई है। किसी भी चयन में यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति को आवेदन करने और चयन में भाग लेने का अवसर प्राप्त हो। संबंधित इकाई के कार्मिक विभाग के पदधारी को यह सुनिश्चित करना है कि इस विषय पर जारी किए गए नीति/अनुदेशों का कड़ाईपूर्वक पालन किया जाए। विशेष तौर पर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि:

(i) रिक्तियों का आकलन निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार और सक्षम प्राधिकारी द्वारा किए गए अनुमोदन के आधार पर समुचित रूप से किया जाता है।

(ii) जारी की गई सभी अधिसूचनाओं की अच्छी तरह से जांच की जानी चाहिए।

(iii) सभी संबंधितों को सूचित करने के लिए अधिसूचना का मंडलों/इकाइयों/वर्कशॉप के कर्मचारियों में व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए।

(iv) चयन समिति में निर्धारित स्तर के अधिकारी होने चाहिए और यदि आरक्षित वर्ग का कोई अधिकारी उपलब्ध न हो तो चौथे सदस्य के रूप में किसी निम्नतर ग्रेड के अधिकारी को ही नामित करना चाहिए।

(v) आईआरईएम वॉल्यूम I, 2009 संस्करण के प्रावधानों और उनमें तदनंतर संशोधनों, यदि कोई हो, का अनिवार्य रूप से पालन किया जाता है।

(vi) चयन की संपूर्ण प्रक्रिया की उपयुक्त स्तर पर निगरानी की जानी चाहिए ताकि चयन का कार्य समय पर पूरा हो सके।

कृपया पावती दें।

(एम. के. मीना)
उप निदेशक स्था. (एन)
रेलवे बोर्ड

सं. ई(एनजी)-I-2018/सीएफपी/1 नई दिल्ली, दिनांक 26.03.2018

1. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडियन रेलवेमेन फेडरेशन, कमरा नं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित).
2. जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन, कमरा नं. 256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित).
3. राष्ट्रीय परिषद, विभागीय परिषद के सभी सदस्य तथा सचिव, कर्मचारी पक्ष, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली (60 अतिरिक्त प्रतियों सहित).
4. सेक्रेटरी जनरल, फेडरेशन ऑफ रेलवे आफिसर्स एसोसिएशन, कमरा सं.256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित).
5. सेक्रेटरी जनरल, इंडियन रेलवे प्रमोटी आफिसर्स फेडरेशन, कमरा सं.268, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियों सहित).
6. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं.256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली-110001

RB/Estt.No. 45 /2018

Government of India (Bharat Sarkar)
Ministry of Railways (Rail Mantralaya)
(Railway Board)

Central Registry / E. Rly
Date of receipt
Serial No. 23
2/4

No.E(NG)I-2018/CFP/1

New Delhi, dated 26.03.2018

The General Managers (P)
All Zonal Railways and
Production Units.
(As per standard list)

Sub:- Guidelines for fair and transparent selections.

A selection was conducted in one of the Divisions against 16-2/3% quota for promotion from Level-1 to Level-2 to the post of Junior Clerk in terms of Para 174 of IREM, Volume.I, 2009 Edition. The matter was investigated by the Vigilance Directorate of the Railway Board and certain irregularities were noticed. These lapses/shortcomings are as under:-

(i) Anticipated vacancies were not assessed correctly.

(ii) Selection under LDCE quota should have been conducted after completion of the process of selection under the promotee quota, since as per the extant provisions, the unfilled vacancies of the promotee quota have to be diverted to LDCE quota. This was not done.

Dy. CPO (G)
Dy. CPO (HQ)
Dy. CPO (R)

(iii) Wide circulation of Notification should have been ensured so that it reached all the potential applicants.

(iv) Committee's composition should have been of Senior Scale Officers but one of three members was a Junior Scale Officer. In case, the officer representing SC/ST was a Junior Scale Officer, he should have been added as the fourth member to the Committee.

(v) Names were added after the expiry of the cut-off date without their formal applications.

मु. का. धि
C. P. O

2. The matter has been reviewed by the Board. In any selection, it is necessary to ensure that each eligible person gets an opportunity to apply and participate in the selection. It is incumbent on the Personnel Department of the Unit concerned to ensure that the policy/instructions issued on the subject are scrupulously followed. In particular, it should be ensured that:

(i) Vacancy assessment is done properly as per the prescribed guidelines and approved by the competent authority.

(ii) All notifications issued are checked thoroughly.

(iii) Notification should be given wide publicity amongst the employees of Divisions/Units/Workshops for notice of all concerned.

(iv) Composition of the Selection Committee should be of the prescribed level and in case an officer from reserved community is not available, only then should a lower grade officer be nominated as the 4th member.

(v) Provisions of IREM Vol.I, 2009 Edition and subsequent modifications, if any are scrupulously followed.

(vi) Entire process of selection should be monitored at an appropriate level for its timely completion.

Please acknowledge receipt.

Hindi version shall follow.

(M.K. Meena)
Deputy Director Estt.(N)
Railway Board